



कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला प्रकोष्ठ-कोरबा (छ.ग.)



E-mail : dwcdkorba@gmail.com

Telephone : 07759-222618

क्रमांक /2563/ मबावि / लेखा / 2016-17
प्रति,

कोरबा, दिनांक 03/03/2017


महाप्रबंधक,
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- निविदा प्रकाशन बाबत ।

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत कोरबा जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्री स्कूल किट हेतु निविदा सूचना प्रकाशन के लिए संलग्न कर प्रेषित है ।

कृपया उक्त ग्लोबल निविदा सूचना प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने एवं निविदा संबंधी प्रपत्र एवं शर्तें राज्य स्तर www.cgstate.gov.in के एवं जिला स्तर वेबसाईट www.korba.gov.in में अपलोड करने का कष्ट करें ।


03/03/17
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला प्रकोष्ठ-कोरबा(छ.ग.)

कार्यालय, कलेक्टर (म0बा0वि0), जिला- कोरबा (छ0ग0)

//निविदा//

कार्यालयीन निविदा सूचना क्रमांक 2568.../मबावि/बेदा/2016-17 कोरबा दिनांक 03.03.2017 के अनुक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कोरबा के अंतर्गत 10 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में स्वीकृत 2265 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए "प्री स्कूल किट" तथा 08 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में स्वीकृत 255 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए "प्री स्कूल किट" आपूर्ति करने हेतु उत्पादनकर्ता/आपूर्तिकर्ता इच्छुक फर्म से निविदा लिफाफों में दिनांक 22.03.2017 अपराह्न 3.00 बजे तक जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला प्रकोष्ठ-कोरबा के स्थित कार्यालय में आमंत्रित है।

निविदा शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. "प्री-स्कूल किट" क्रय हेतु परियोजनावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	एकी.बा.वि.परि.	आं.बा.केन्द्र संख्या	आं.बा.केन्द्र हेतु क्रय की जाने वाली प्री स्कूल किट की संख्या	मिनी आं.बा.केन्द्र संख्या	मिनी आं.बा.केन्द्र हेतु क्रय की जाने वाली प्री स्कूल किट की संख्या
1	कोरबा (श.)	223	223	0	0
2	कोरबा (ग्रा.)	315	315	07	07
3	कटघोरा	274	274	0	0
4	करतला	195	195	13	13
5	बरपाली	167	167	12	12
6	पाली	348	348	44	44
7	हरदीबाजार	170	170	20	20
8	पोड़ी उपरोड़ा	265	265	71	71
9	चोटिया	122	122	66	66
10	पसान	186	186	22	22
योग-		2265	2265	255	255

- क्रयदेश जारी करने की तिथि को संचालित आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या अनुसार उपरोक्त दर्शित सरल क्रं. 01 में कमी या बढ़ाई जा सकती है।
- प्री स्कूल किट में निहित सामग्रियों की सूची उल्लेखित है। निविदादाता को इन्हीं सामग्रियों का पृथक-पृथक दर अंकित करते हुए कुल दर लेख कर निविदा प्रस्तुत करना होगा। विभागीय बंटन सीमा अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए रुपये 2100/- प्रति किट निर्धारित है एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 850/- निर्धारित है।
- निविदादाता को आंगनबाड़ी केन्द्र के प्री स्कूल कीट हेतु प्रपत्र 'अ' और 'ब' प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी तथा यदि कोई निविदादाता मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए निविदा प्रस्तुत करता है तब उनके द्वारा लिफाफा 'अ' और 'स' करना अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त कोई निविदादाता आंगनबाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु निविदा प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक हों तब आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्रपत्र 'अ' और 'ब' तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्रपत्र 'अ' और 'स' प्रस्तुत करना होगा।
- निविदादाता को बंद लिफाफा (अ, ब एवं स) में निविदा प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा प्रपत्र "अ" में तकनीकी अर्हता एवं द्वितीय लिफाफा "ब" में आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु प्रदाय की जाने वाली प्री स्कूल किट का वित्तीय दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा प्रपत्र "स" में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु प्रदाय की जाने वाली प्री स्कूल किट का वित्तीय दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तथा निविदा संबंधी तीनों प्रकार के प्रपत्र "अ", "ब" एवं "स" पृथक-पृथक बंद लिफाफों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा यदि निविदादाता द्वारा तीनों प्रपत्रों को एक ही लिफाफा में प्रस्तुत किया जाता है तो निविदादाता की निविदा मान्य नहीं की जावेगी। प्रपत्र "अ" के अनुसार समस्त दस्तावेज जैसे पिछले 02 वर्ष का आयकर विवरणी (वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16) वाणिज्यकर विभाग द्वारा जारी पंजीयन नम्बर, अमानत राशि, जिला उद्योग एवं

व्यापार केन्द्र का पंजीयन अथवा नगरीय निकाय का पंजीयन, वाणिज्यकर विभाग द्वारा "कर चुकता प्रमाण पत्र" (निर्धारित प्रारूप में स्वीकार होगी, चालान की प्रति मान्य नहीं होगी), निविदादाता को अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र या उक्त सामग्री सप्लायर का पत्र एवं आवेदन शुल्क की पावती (चालान) संलग्न करना अनिवार्य होगा, लिफाफा "अ" का तकनीक अर्हता पूर्ण करने वाले फर्मों का प्रपत्र "ब" एवं प्रपत्र "स" खोला जावेगा अन्यथा नहीं। बिना सेम्पल किट की निविदाये नहीं खोली जायेगी।

6. सभी "कर" सम्मिलित करके निविदा दर प्रस्तुत करना होगा, निविदा में उल्लेखित दर के अतिरिक्त अन्य कोई स्वत्व देय नहीं होगा।
7. निविदा मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 22/03/2016 अपराह्न 03.00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसी दिन अपराह्न 04.00 बजे निविदा लिफाफे जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी निविदादाता स्वयं/प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं, प्रतिनिधि को निविदादाता से प्रतिनिधि नियुक्त करने वाला पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में निविदा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
8. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सूचित किया जायेगा जिसके 07 दिनों के अंदर रुपये 50/- के नानज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में यह करार सम्पादित कर के देगा कि सामग्री आपूर्ति जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर क्रयादेश में निर्धारित किये गये स्थल तक पहुंचाकर देना होगा निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदाय नहीं करने पर भुगतान राशि में अनुपातिक कटौती की जावेगी अथवा क्रयादेश निरस्त किया जाकर अमानत राशि छ.ग. शासन के पक्ष में राजसात करके काली सूची में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
9. निविदादाता फर्म द्वारा प्रदायित सामग्रियों का भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय क्रय समिति के द्वारा किया जावेगा। भौतिक सत्यापन में सेम्पल से आपूर्ति हुए सामग्री का मिलान नहीं होने पर नियमानुसार कटौती की जायेगी या निरस्त करते हुए वरियता सूची में दूसरे स्थान रखने वाले संस्था का चयन किया जावेगा।
10. एक निविदादाता का एक ही निविदा स्वीकार किया जायेगा। आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु पृथक-पृथक अमानत राशि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. प्रपत्र "ब" हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्रदाय की जाने वाली सामग्री प्री स्कूल किट हेतु निविदादाता को 1,43,000/- (शब्दों में एक लाख तिरालिस हजार रुपये मात्र) का किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों से जारी ड्राफ्ट (बी.डी./डी.डी.) जो जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला प्रकोष्ठ-कोरबा (छ.ग.) के पक्ष में जारी हुआ हो इस राशि का ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के लिफाफा में "अ" के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. प्रपत्र "स" हेतु मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्रदाय की जाने वाली सामग्री प्री स्कूल किट हेतु निविदादाता को 7,000/- (शब्दों सात हजार रुपये मात्र) का किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों से जारी ड्राफ्ट (बी.डी./डी.डी.) जो जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला प्रकोष्ठ-कोरबा (छ.ग.) के पक्ष में जारी हुआ हो इस राशि का ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के लिफाफा में "अ" के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. आपूर्ति होने पर सामग्री के कमी, क्षति या हानि के लिये कार्यालय/विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
14. निविदा में दर्शित सामग्री का (नान टॉक्सिक) होने संबंधी प्रमाण-पत्र भारत शासन या छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से जारी हो, का संकलन करना अनिवार्य है। निविदा स्वीकृत होने पर आपूर्ति की गई सामग्री का निर्धारित संस्था से बच्चों के उपयोग हेतु उपयुक्त (नान टॉक्सिक) है का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. निविदादाता को सामग्री के साथ दो प्रतियों में देयक जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला प्रकोष्ठ-कोरबा (छ.ग.) को प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान आंबटन उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
16. निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जायेगा की निविदादाता को निविदा की सभी शर्तें मान्य व स्वीकार्य हैं।
17. प्रपत्र "ब" उल्लेखित प्रत्येक सामग्री दर पृथक-पृथक देना अनिवार्य होगा एवं समस्त सामग्री को प्रति किट की समस्त सामग्री दर योग राशि 2100/- (शब्दों में- दो हजार एक सौ रुपये मात्र) से अधिक

